प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.02.2026

- **थाना रनियां पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 05 पेटी (कुल 225 क्वार्टर) अवैध देशी शराब बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.02.2026 को राजेश इको स्पेयर लिमिटेड फैक्ट्री के पास रायपुर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व तलाशी के दौरान कानपुर की तरफ से आ रही मोटर साइकिल न0 UP 79AB 1371 से 01 बोरी में 05 पेटी कुल 225 क्वार्टर (45 लीटर) अवैध देशी शराब अनुमानित कीमत लगभग 25,000 रुपये के साथ 02 अभियुक्तों 1. गुलशन पुत्र बृजकिशोर निवासी कैथावा थाना बेला जिला औरैया उम्र 22 वर्ष 2. अमन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना चौबेपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रनियां पर **मु0अ0सं0 0023/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम** बनाम गुलशन पुत्र बृजकिशोर व अमन सिंह पुत्र लाल सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गुलशन पुत्र बृजकिशोर निवासी कैथावा थाना बेला जनपद औरैया, उम्र 22 वर्ष।
2. अमन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी-

01 बोरी में 05 पेटी कुल 225 क्वार्टर (45 लीटर) अवैध देशी शराब (अनुमानित कीमत ₹ 25000)।
मोटर साइकिल नं0 UP79AB1371 (अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
2. हे0का0338 धीरेन्द्र सिंह पटेल
3. हे0का0282 रविप्रकाश